98

# न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 3474–तीन/2013 – विरूद्ध आदेश दिनांक 26–6–2013 – पारित व्दारा – तहसीलदार वृत्त खटकरी तहसील हनुमना जिला रीवा – प्रकरण क्रमांक 7 अ–3/2012–13

1– मुन्नालाल 2– शोभनाथ 3– दानी
तीनों पुत्र बिरवा कोल, निवासी ग्राम
खेड़मानी तहसील हनुमना जिला रीवा ———आवेदक

विरूद्ध

1– सुखमंत लाल पुत्र सत्यप्रसाद ब्राहमण
ग्राम खेड़मानी तहसील हनुमना जिला रीवा
2– मध्य प्रदेश शासन ———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक क–2 पैनल लायर श्री आर.पी.पालीवाल)

आ दे श

(आज दिनांक 29-05 -2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार वृत्त खटकरी तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 7 अ–3/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 26–6–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्रमांक–1 ने तहसीलदार हनुमना के समक्ष आवेदन देकर उसके स्वामित्व की आराजी क्रमांक 329/1 रकबा 5–45 ए. के नक्शा तरमीम की मांग की। तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 7 अ–3/2012–13 पॅजीबद्व किया तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त खटकरी को स्थल पर जाकर नक्शा ट्रेस करने संबंधी प्रस्ताव मांगे। राजस्व निरीक्षक ने

नजरी नक्शा तैयार कर प्रतिवेदन दिनांक 18-5-2013 प्रस्तुत किया। भूमि के सहखातेदार को तहसीलदार वृत्त खटकरी तहसील हनुमना ने व्यक्तिगत सूचना जारी की। सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 26-6-13 पारित किया गया तथा राजस्व निरीक्षक व्दारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर नक्शा तरमीम करना स्वीकार किया। तहसीलदार वृत्त खटकरी तहसील हनुमना जिला रीवा के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रकरण में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 70 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत नक्शा तरमीम का आदेश पारित किया है। इस धारा के अंतर्गत तहसीलदार व्दारा पारित आदेश अपील योग्य है जिसकी प्रथम अपील उपखंड अधिकारी को होगी। **म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को-आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये।** आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके है कि ऐसी कौनसी विषम परिस्थितियां हैं अथवा विशिष्ट कारण हैं जिनके आधार पर निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में सुनी जावे। फलस्वरूप तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनना उचित नहीं है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त कारणों से सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई-योग्य न होने से अमान्य की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर